

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 31 दिसम्बर 2024

अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो खेमराज सिंह बाकुल 2 वर्तमान धारित पद निरीक्षक नाप तौल
3 वर्तमान वेतन 50200/- 4 अगली वेतनवृद्धि की तारीख निरीक्षक नाप तौल इन्चार्ज
01-07-2025

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया पट्टा, बंधक, विरासत तथा भेट या अन्य किसी प्रकार से अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम सोरपुर पोस्ट सोरपुर तहसील खैरतपुर जिला (म.प्र.)	एक पत्रक मकान	कृषि भूमि	17.00 लाख 22.00 लाख	माता जी माता जी	पैत्रक पैत्रक	निरंक 09.50 लाख	
2. 148, 149 गोगा होस्ट, 145 बांगडुहा इन्चार्ज	मकान 210 वर्ग मीटर		70.00 लाख	स्वयं एवं पत्नी के नाम पर	प्लॉट क्रम क्र. 2 मकान बनवाया गया।	96 हजार किराए में प्राप्त	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय

सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा - पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति प्रतिवेदन के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर

(खेमराज सिंह बाकुल)

निरीक्षक

विधिक माप विज्ञान (नाप तौल)
इन्दौर (म. प्र.)